उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-40/2023/409/छप्पन-2023-2022-23
लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि-पत्र)

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-30/2023/345/छप्पन-2023-56-1002(001)/02/2021 निर्गत की गई है।

2- अनुरोध है कि निर्गत शासनादेश में टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 20 मार्च, 2023 के स्थान पर दिनांक 20 मार्च, 2022 अंकित हो गया है।

अत: निर्गत शासनादेश में दिनांक 20 मार्च, 2022 के स्थान पर दिनांक 20 मार्च, 2023 समझा एवं पढ़ा जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

पृ0संख्या-40/2023/409(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कौशिक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in